भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
CSIR-IIIM
TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE, JAMMU
संयोजक : सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान, नहर मार्ग, जम्मू तवी-180 001 (भारत)
CONVENOR: CSIR- Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu Tawi – 180 001 (INDIA)
दूरभाष : (0191) 2585006-13; फैक्स (0191) 2586333, 2585026. Phones : (0191) 2585006-13; Fax : (0191) 2586333, 2585026.
E-mail: ramasharma@iiim.ac.in; Website www.tolicjammu.org

संख्या/No: नराकास/जम्मू/बैठक/2017-राभा.

दिनांक/Dated: 28 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

नराकास, जम्मू के केन्द्रीय कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों
अध्यक्षगण/राजभाषा अधिकारी/हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवाद।

विषय:-**दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की बैठक का कार्यवृत्त।**
Subject:- **Minutes of the TOLIC, Jammu meeting held on 27 November, 2017.**

महोदय/महोदया,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न हुई। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है। कृपया बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित् करवाएं ।

कार्यवृत्त पर यदि किसी सदस्य को कोई सुझाव देना हो अथवा आपत्ति हो तो वह अपने सुझाव समिति कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर प्रेषित करें ।

Sir/ Madam,

The minutes of the half yearly meeting of Town Official Language Implementation Committee, Jammu held on 27th November, 2017 at 3.00 PM in the Conference Hall of IIIM, Jammu are enclosed herewith. You are requested to take necessary action on the decisions taken in the said meeting accordingly.

Objections/suggestions, if any may be intimated to this office with in two weeks.

धन्यवाद/Thanks

भवदीय,
(डॉ. रमा शर्मा)
सदस्य-सचिव

संलग्न:- यथावर्णित बैठक के कार्यवृत्त ।

प्रतिलिपि:-

1. नगर राजभाषा कार्यानवयन समिति, जम्मू के कार्यालयाध्यक्ष,
2. उपनिदेशक (कार्या.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), उत्तर, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023 ।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, अनुसंधान परिषद्, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
4. संयुक्त सचिव (कार्या.), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-03
5. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
6. भारत की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

संख्याः नराकास/जम्मू/बैठक/2016-17/राभा. **दिनांकः 29.11.2017**

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को सायं 3.00 बजे सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 27 नवम्बर, 2017 (सोमवार) को अपराह्न 3.00 बजे सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक एवं नराकास अध्यक्ष डॉ. राम विश्वकर्मा ने की। इस अवसर

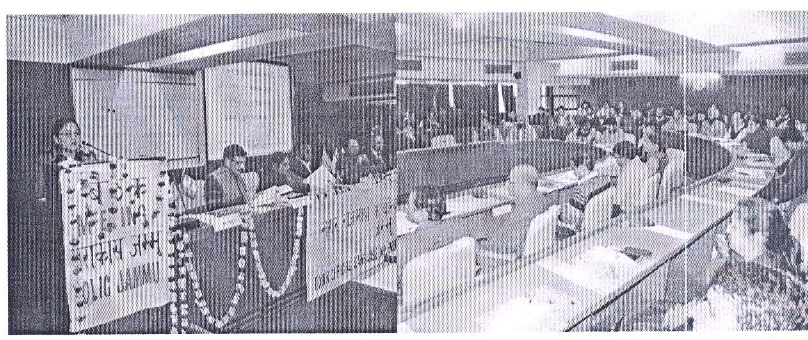

पर श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उपनिदेशक (कार्या.), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली से उपस्थित हुए तथा श्री तिलक राज चौधरी, निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गांधी नगर, जम्मू, श्री संजय धर, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू, डॉ. कृष्णा कुमारी, प्रभारी, क्षेत्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्थान, जम्मू, प्रो. हरिनारायण तिवारी, प्रिंसीपल, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम्, जम्मू, श्री पंकज बहादुर, नियंत्रक प्रशासन, भारतीय समवेत ओषध संस्थान, जम्मू एवं नराकास के केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के सभी कार्यालयाध्यक्ष/नोडल अधिकारी/प्रशासनिक प्रमुख/राजभाषा अधिकारी/हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक/ प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित कार्यालयप्रमुखों एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत डॉ. रमा शर्मा, हिन्दी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव, नराकास, जम्मू ने किया। उन्होंने अपने स्वागत संबोधन में सभी मंचस्थ एवं अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का अभिनन्दन किया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्रवाई आरम्भ की एवं गत बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। बैठक में प्रथम अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 के दौरान सभी सदस्य कार्यालयों के हिन्दी कार्यान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों

में हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास करना तथा जम्मू क्षेत्र को राजभाषा की प्रगति की ओर अग्रसर करने की दिशा में रहा है।

तत्पश्चात् बैठक में उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ ही बैठक की कार्रवाई आरम्भ हुई। सदस्य-सचिव ने गत बैठक के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति एवं प्रतिक्रिया न मिलने पर सचिव ने अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पर गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

तदुपरान्त प्रथम अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 के दौरान प्राप्त दोनों प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा का संक्षिप्त ब्यौरा सदस्य कार्यालयों के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टें की स्थिति इस प्रकार है:-

प्रथम अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 के दौरान प्राप्त दोनों तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा:

1. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल जम्मू सेक्टर, बनतालाब, जम्मू
2. सेक्टर मुख्यालय, के.रि.पु. बल, बनतालाब, जम्मू
3. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल, हीरानगर (नगरोटा) जम्मू
4. कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, के.रि.पु.बल जम्मू सेक्टर, बनतालाब, जम्मू
5. कार्यालय महानिरीक्षक (चिकित्सा), चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय, के.रि.पु.बल, बनतालाब, जम्मू
6. कार्यालय छावनी परिषद, जम्मू
7. कमाण्डेंट-06 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्ब पुलिस बल, अर्ली रोड, कटरा, जम्मू
8. कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, उत्तरी कमान, नरवाल पाई, सतवारी, जम्मू
9. मंडल यातायात प्रबंधक, उत्तरी रेलवे, जम्मू
10. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू व कश्मीर, जम्मू
11. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पंजतीर्थी, जम्मू
12. कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह.), जम्मू व कश्मीर, जम्मू
13. रेलवे भर्ती बोर्ड, जम्मू-श्रीनगर, रेलवे कॉलोनी, जम्मू
14. 23 विंग, वायु सेना द्वारा 56 सेना डाकघर
15. कॅयर बोर्ड प्रदर्शन कक्ष, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू
16. कार्यालय क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), जम्मू
17. क्षेत्रीय आयुर्वेदीय मूत्रविकार अनुसंधान संस्थान, राजेन्द्र नगर, बनतालाब, जम्मू
18. पश्चिम हिमालय क्षेत्रीय केन्द्र (राष्ट्रीय जल विज्ञान केन्द्र), जम्मू
19. कार्यालय कमाण्डेंट-166 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, न्यू.पी.सी.आर कैंप, सिदड़ा, जम्मू
20. जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रायासुचानी, जिला-साम्बा, जम्मू
21. सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू
22. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सतवारी, जम्मू
23. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गाँधी नगर, जम्मू

24. कार्यालय उपनिदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, उत्तरी कमान, नरवाल पाई, सतवारी, जम्मू
25. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सैनिक कालोनी, जम्मू
26. रेशम अनुकूलन एवं परीक्षण गृह, वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, मीरासाहिब, जम्मू
27. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू
28. एन.सी.सी.निदेशालय, जम्मू व कश्मीर, जम्मू
29. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मीरासाहिब, जम्मू
30. प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केन्द्र, केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, मीरासाहिब, जम्मू
31. कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय आयुक्त का कार्यालय, शास्त्री नगर, जम्मू
32. प्रधान आयकर आयुक्त, जम्मू व कश्मीर, आयकर भवन, रेल हेड कॉम्पलेक्स, जम्मू
33. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, शास्त्री नगर, जम्मू
34. पशुपालन, डेरिंग एवं मत्स्य पालन विभाग, क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, गाँधी नगर, जम्मू
35. रक्षा संपदा, उत्तरी कमान, नरवाल पाई, सतवारी, जम्मू
36. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर रोड, जम्मू
37. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेंज हीरानगर, जम्मू
38. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक (परि.) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जम्मू नॉर्थ, छन्नी हिम्मत, जम्मू
39. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेंज, जम्मू
40. सीमान्त मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल, पलौड़ा कैम्प, जम्मू
41. केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र, नानकनगर, जम्मू
42. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, जम्मू एवं कश्मीर, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू
43. कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, जम्मू एवं कश्मीर सर्किल, जम्मू
44. प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारण, दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू
45. कैंटीन भंडार विभाग, बी.डी.बाड़ी डिप्पो, जम्मू
46. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन (रिटेल), क्षेत्रीय कार्यालय, एशिया होटल के सामने, गांधी नगर, जम्मू

बैंक

47. पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय, जम्मू
48. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू
49. भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, जम्मू

उपक्रम/निगम

50. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सिविल विमान क्षेत्र, जम्मू
51. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड भवन, जम्मू

52. एन.एच.पी.सी.लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, जेडीए कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नरवाल, जम्मू

53. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, 157-ए, गाँधी नगर, जम्मू

54. एन.एच.पी.सी.लिमिटेड, दुलहस्ती पावर स्टेशन, किश्तवाड़, जम्मू

55. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, टेरिटरी, जम्मू

मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान कार्रवाई सुनिश्चित् करवाने के उद्देश्य से सदस्यों को जानकारी दी।

1. धारा 3(3) के अनुपालन में सदस्य कार्यालयों की रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर पता चला है कि लगभग सभी कार्यालयों में धारा 3(3) का अनुपालन किया जा रहा है लेकिन कुछेक कार्यालय पत्र अंग्रेजी में जारी करके धारा 3(3) का उल्लंघन किया है।
2. भाषा प्रशिक्षण, टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष हैं उन सभी कार्यालध्यक्षों से अनुरोध है कि वे प्रशिक्षण के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाएं और इन्हें शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षण दिलाकर लक्ष्य की प्राप्ति कर ले।
3. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना (100 प्रतिशत) अनिवार्य है कि अधिकांश कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए गए है।
4. मूल पत्राचार (लक्ष्य 55 प्रतिशत) प्राप्त रिपोर्टो की समीक्षा के दौरान पाया गया कि सभी कार्यालयों में हिन्दी मूल पत्राचार की स्थिति सन्तोषजनक है। सभी सदस्य कार्यालय/बैंकों/उपक्रम नियमित रूप से हिन्दी कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं और इनका यह प्रयास सराहनीय है।
5. पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन - राजभाषा कार्यान्वियन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है: रेडियो कश्मीर, जम्मू 'तविषि', पी.एन.बी., जम्मू की 'त्रिकुटा', केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू की 'उत्तरवाहिनी', आयकर आयुक्त का कार्यालय, जम्मू की 'आयकर शिखर' तथा नराकास, जम्मू समिति की 'ज्ञानवार्ता' नामक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं, इनका यह प्रयास सराहनीय है।
6. हिन्दी पदों की स्थिति - नराकास के सदस्य-कार्यालयों से यह भी अनुरोध है कि हिन्दी से सम्बन्धित सभी रिक्त पदों को भर लिया जाए क्योंकि रिक्त पदों का प्रभाव राजभाषा कार्यान्वयन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पड़ता है। मानव संसाधन के अभाव में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन अपेक्षित गति प्राप्त नहीं कर पाता। अत: जिन कार्यालयों में हिन्दी पद कई वर्षो से रिक्त पड़े है उन्हें इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कर उन पदों को भर लेना अनिवार्य बताया ।
7. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए अपने-अपने कार्यालय से शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें तथा

डॉ. आर.एल.मीणा, प्राध्यापक, सेक्टर-6, बबलियाना रोड, गंग्याल, जम्मू-180010 मो. 9018451848 पर सम्पर्क करें।

8. वर्ष 2016-17 में जो कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों ने हिन्दी में अच्छे कार्य किये हैं उन कार्यालयों के कार्यालयप्रमुखों/राजभाषा अधिकारियों/हिन्दी अधिकारियों/हिन्दी अनुवादकों को अध्यक्ष महोदय के कर-कमलो द्वारा शील्ड एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
   इस अवसर पर ज्ञानवार्ता के आठवें अंक का भी विमोचन किया गया।

राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पर कार्रवाई सुनिश्चित् करवाएं:-

1. सभी सदस्य कार्यालय अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टे अपने मुख्यालय (नियंत्रक कार्यालय) नराकास सचिवालय को भेजना सुनिश्चित् करें। तिमाही प्रगति रिपोर्ट गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षैत्रीय कार्यान्वयन कार्या-1(दिल्ली), ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली को भी ऑनलाइन भेजी जाएं। क्षेत्रीय कार्यान्वयल कार्यालय (उत्तर) के प्रतिनिधि श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) ने कहा कि राजभाषा पुरस्कार सदस्य कार्यालयों का निरीक्षण करके ही चयन किया जाएगा।
2. नराकास की बैठकों में केवल कार्यालय प्रमुख द्वारा ही भाग लिया जाए। संबंधित राजभाषा अधिकारी/अनुवादक प्रधान अधिकारियों की मदद के लिए बैठक में भाग ले सकते हैं।
3. सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जाएं और इसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से की जाए तथा बैठक की पूर्व सूचना तथा कार्यवृत्त भी इस कार्यालय को भिजवाएं।
4. हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर कुल बजट का 50 प्रतिशत खर्च किया जाना अनिवार्य है।
5. कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जांच बिन्दु बनाए जाएं और इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. नराकास स्तर पर तिमाही में किसी एक कार्यालय द्वारा हिन्दी कार्यक्रम/प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए तथा अच्छा प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को नराकास की अगली बैठक में पुरस्कृत किया जाए। नराकास द्वारा अपनी एक हिन्दी गृह पत्रिका भी निकाली जाए, जिसके लिए आवश्यकतानुसार प्रत्येक सदस्य कार्यालय से एक निश्चित अंशदान वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है।
7. राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में विहित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह कार्यक्रम राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग नई दिल्ली से उपस्थित श्री प्रमोद कुमार, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) ने सभी सदस्य कार्यालयों को विस्तार से नियमों के बारे में बताया ।

8. कार्यालय द्वारा स्थानीय एवं अखिल भारतीय स्तर के सभी विज्ञापन द्विभाषी अथवा त्रिभाषी अर्थात् अपने राज्य की भाषा में जारी किए जाए तथा हिन्दी व अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं पर समान खर्च किया जाए।
9. श्री तिलक राज चौधरी, निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गांधी नगर, जम्मू ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए।
10. डॉ. कृष्णा कुमारी, प्रभारी, क्षेत्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्थान, जम्मू ने बताया कि सदस्य कार्यालयों में हिन्दी कार्य की प्रगति में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
11. श्री संजय धर, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू ने बैठक को सम्बोधित करते हुए पी. एन.बी उपलब्धियों का जिक्र किया।
12. प्रो. हरिनारायण तिवारी, प्रिंसीपल, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम्, जम्मू ने संस्कृत में मंत्र उच्चारण कर सभी सदस्य कार्यालयों को बैठक में हिन्दी के विकास पर प्रकाश डाला ।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में नराकास अध्यक्ष महोदय ने अत्यन्त प्रभावी रूप में कार्यालय-प्रमुखों से अपने-अपने कार्यालयों में अधिकांशतः सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास के लिए समर्पित होने की आवश्यकता है और हमारे संस्थान में जो महत्वपूर्ण हिन्दी पुस्तकें पुस्कालय में उपलब्ध हैं कृपया सभी सदस्य कार्यालय लाभान्वित हो सकते हैं तथा सदस्य कार्यालयों से यह भी अनुरोध किया कि जिन कार्यालयों के पते में कोई परिवर्तन हो जाए तो वे कार्यालय इसकी सूचना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय को अवश्य दें ताकि कार्यालयों की सूची समय-समय पर संशोधित कर अद्यतन रखी जा सके। एतदर्थ सूचना टॉलिक यानि नराकास की वेबसाइट www.tolicjammu.org पर भी दी जा सकती है।

अन्त में संस्थान के श्री पंकज बहादुर, नियंत्रक प्रशासन ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया और बैठक सम्पन्न हुई ।

रामशर्मा (हस्ताक्षर) | राम विश्वकर्मा (हस्ताक्षर)

डॉ. रमा शर्मा
सदस्य-सचिव
नराकास, जम्मू

डॉ. राम विश्वकर्मा
अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

डॉ. राम विश्वकर्मा
Dr. Ram Vishwakarma
निदेशक/Director
भारतीय समवेत औषध संस्थान
Indian Institute of Integrative Medicine
जम्मू/Jammu.